(वाद सं0–6711/4/6/2020)

03.08.2023

कुल सचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, भोजपुर की ओर से कुलानुशासक (Proctor), डॉ0 अनुज रजक, उपस्थित है।

डॉ0 अनुज रजक, के द्वारा कुल सचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, भोजपुर का प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, डॉ0 कमालुद्दीन खाँ, को कोरोना काल में सरकारी/न्यायिक निर्देश के बावजूद वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के द्वारा नवम्बर 2019 तथा फरवरी 2020 से अक्तूबर 2020 तक (कुल दस माह) का वेतन का भुगतान न करने तथा विश्वविद्यालय के पत्रांक–1353 (ए)/Estb./2020, दिनांक–25.11.2020 के द्वारा, सक्षम प्राधिकार के सहमति के बिना परिवादी व अन्य चार शिक्षकों की, की गयी नियुक्ति के आधार पर उन्हें सेवामुक्त किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना को निरस्त करने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **कुल सचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, भोजपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **कुल सचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, भोजपुर द्वारा परिवादी, डॉ0 कमालुद्दीन खाँ, के राज्य आयोग को दिये गये आवेदन की एक प्रति अनुलग्नित की गई है, जिसमें परिवादी का कथन है कि उसे नवम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक का बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। परिवादी का अपने आवेदन में कथन है कि अब जबकि उसे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसके वेतन का भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन परिवाद को समाप्त कर दिया जाय।**

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित कुलानुशासक (Proctor), डॉ0 अनुज रजक, का कथन है कि परिवादी को उसके बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है तथा भविष्य में सरकार से

अनुदान प्राप्त होने पर नियमानुसार उसके वेतन का भुगतान होता रहेगा।

अब जबकि परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो कुलानुशासक (Proctor), डॉ0 अनुज रजक, को व्यक्तिगत उपस्थिति से विमुक्त करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, भोजपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 26–25/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक